संचिका सं0–7/विविध–28–11/2023–429 (7B)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक–29/10/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के 10 (दस) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के अन्तःवासी रोगियों **(In-door Patients)** के उपचार अवधि के दौरान शुद्ध एवं पोषक भोजन की व्यवस्था हेतु बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन, यथा–'दीदी की रसोई' के माध्यम से करने एवं इस पर होने वाले व्यय के वहन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति को कुल रु० 28,09,00,000/–(रुपये अठ्ठाइस करोड़ नौ लाख) मात्र की व्यय निमित्त विमुक्ति की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सबंध में कहना है कि विभागीय सकल्प संख्या–441(10), दिनांक–10.02.2021 द्वारा राज्य के सभी जिला अस्पतालों (District Hospitals) तथा अनुमंडलीय अस्पतालों (Sub Divisional Hospitals) के अन्तःवासी रोगियों (In-door Patients) के उपचार अवधि के दौरान शुद्ध एव पोषक भोजन की व्यवस्था हेतु बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन, यथा–'दीदी की रसोई' के माध्यम से करने हेतु उनके साथ अनुबंध किये जाने का प्रस्ताव है जो पॉच वर्षो के लिए किया जाएगा। उक्त संकल्प की कंडिका–7 के आलोक में इसे राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भी लागू किया गया है। यह अनुबंध स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार तथा 'दीदी की रसोई' की ओर से जीविका के द्वारा किया गया है।

2– भोजन की दर रु० 150/–प्रति अन्तःवासी रोगी (In-door Patients) प्रतिदिन प्रस्तावित है जिसमे हर वर्ष संभावित मूल्यवृद्धि के आलोक में 5% बढ़ोतरी किया जाएगा। भुगतान हेतु केन्द्रीकृत व्यवस्था का प्रावधान होने के कारण राज्य स्वास्थ्य समिति को यह राशि उपलब्ध किया जाना है।

3– इस कार्य हेतु जीविका द्वारा विनिर्दिष्ट 'दीदी की रसोई' हेतु संबंधित जिला अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में उपयुक्त स्थान/कमरे/भवन, बिजली, पानी तथा शौचालय की व्यवस्था के साथ, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। बिजली बिल का भुगतान संबंधित 'दीदी की रसोई' के द्वारा किया जाएगा। अनुबंध अवधि में जिला अस्पतालों तथा अनुमंडलीय अस्पतालों के परिसर में कोई अन्य कैन्टीन सचालित नहीं किया जाएगा। बाह्य रोगियों, रोगियों के परिचर तथा अस्पताल के डॉक्टर, नर्स एवं अन्य कर्मियों के लिए विनिर्दिष्ट 'दीदी की रसोई' ही कैन्टीन सुविधा उपलब्ध कराएगी, जिसके दर का निर्धारण सबधित 'दीदी की रसोई' के द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के साथ परामर्श कर किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति एवं 'जीविका' के द्वारा इस व्यवस्था का सतत् अनुश्रवण तथा मूल्यांकन किया जाएगा। उक्त हेतु प्रक्रिया का निर्धारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के परामर्श से किया जाएगा। 05 वर्षो के उपरांत मूल्यांकन के आधार पर अनुबंध का विस्तार अगले 05–05 वर्षो के लिए किया जायेगा। तदालोक में विभागीय पत्र संख्या–295(7B), दिनांक–22.07.2026 के द्वारा 05 (पाँच) वर्षो के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) दिनांक–21.02.2026 के प्रभाव से अगले 05 (पॉच) वर्षो के लिए विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4— तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2026—27 में राज्य के 10 (दस) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के अन्तःवासी रोगियों (In-door Patients) के उपचार अवधि के दौरान शुद्ध एवं पोषक भोजन की व्यवस्था हेतु बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक सगठन, यथा—'दीदी की रसोई' के मध्यम से करने एवं इस पर होने वाले व्यय के वहन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति को कुल रु० 28,09,00,000/—(रुपये अठ्ठाइस करोड़ नौ लाख) मात्र की व्यय निमित्त विमुक्ति की स्वीकृति अनुलग्नक—01 के अनुरूप प्रदान की जाती है।

5— इस राशि की निकासी मांग संख्या—20 अन्तर्गत अनुलग्नक—01 में उल्लेखित संस्थानों के विपत्र कोड अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026—27 मे आहार/पथ्य (21—03) मद में बजट उपबंध/प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

6— इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्यय पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

7— अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0—PBBPLA011एवं विपत्र कोड—00-8448001200027-0001 में सुलभ करायेगें।

8— राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार की यह जिम्मेवारी होगी कि विभागीय उक्त संकल्प एवं वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन करते हुए राशि जीविका को उपलब्ध करायेंगे।

9— राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभाग के परिपत्र सं0—8599, दिनांक—01.10.2015 के आलोक में धन ऋण ज्ञापन उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम—341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी ।

10— यह व्ययादेश वित्त विभागीय परिपत्र सं0—2561/वि0(2) दिनांक—17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक—05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक—27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक—03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक—09.04.2010 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

11— प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

12— प्रारूप में आन्तरिक वितीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०—7/विविध—28—11/2023 के पृष्ठ—58/टि० पर प्राप्त है।

13— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी ।

विश्वासभाजन,

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः—7/विविध—28—11/2023 - 499 (78)/स्वा0, पटना, दिनांक—29/10/2026

प्रतिलिपि— वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/संबंधित अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचित/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी—7B/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29.X.26

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक:–1

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, जिला अस्पतालों (**District Hospitals**) तथा अनुमंडलीय अस्पतालों (**Sub Divisional Hospitals**) के अन्तःवासी रोगियों (**In-door Patients**) के उपचार अवधि के दौरान शुद्ध एवं पोषक भोजन की व्यवस्था हेतु संस्थानवार आहार/पथ्य (21–03) मद में आवंटित की जाने वाली राशि की विवरणी:–

क्रम सं०	संस्थान का नाम एवं विपत्र कोड	उपबंधित –राशि	प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि	CFMS में परिलक्षित –राशि	पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	शेष राशि
1	पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना 20–2210011100001	6,00,00,000	2,00,00,000	5,90,00,000	1,98,00,000	3,92,00,000	0
2	दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा 20–2210011100002	4,00.00,000	3,00,00,000	5,60,00,000	1,32,00,000	4,28,00,000	0
3	नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना 20–2210011100004	3,00,00,000	2,00,00,000	3,95,00,000	99,00,000	2,96,00,000	0
4	मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया, 20–2210011100006	2,00,00,000	2,00,00,000	3,30,00,000	66,00,000	2,64,00,000	0
5	श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर 20–2210011100008	2,00,00,000	3,00,00.000	4,30.00,000	66,00,000	3,64,00,000	0
6	भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर 20–2210011100009	3,00,00.000	2,00,00,000	3,95,00,000	99,00,000	2,96,00,000	0
7	वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईसेज अस्पताल, पावापुरी 20–2210011100021	1,50,00,000	1,00,00,000	1,97,50,000	49,50,000	1,48,00,000	0
8	राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, बेतिया 20–2210011100025	9,00.00,000	0	5,85,00,000	2,97,00,000	2,25,00,000	63,00,000
9	जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मधेपुरा 20–2210011100026	1,00,00,000	2,00,00,000	2,65,00,000	33,00,000	1,80,00,000	52,00,000
10	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पूर्णियां 20–2210011100028	50,00,000	2,00,00,000	2,32,50,000	16,50,000	2,16,00,000	0
	कुल–	**32,00,00.000**	**19,00,00,000**	**39,80,00,000**	**10,56.00,000**	**28,09,00,000**	**1,15,00,000**

रु० 28,09,00,000/–(रुपये अठ्ठाइस करोड़ नौ लाख) मात्र

सरकार के अपर सचिव